

न्यायालय जिला कलक्टर (मध्यस्थता अधिकारी) बून्दी

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या
मैनुअल नं. 37 / प्रा.पत्र / 2024
(GCMS No. 2024 / 47)

तारीख दायरा
12.02.2024

तारीख निर्णय
18.02.2025

1. नटी बाई पत्नी धर्मपाल जाति मीना,
निवासी ग्राम लबान, तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
2. राजभवन पत्नी शिवपाल जाति मीना,
निवासी ग्राम लबान, तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
3. सुनीता पत्नी गोपाल जाति मीना,
निवासी ग्राम लबान, तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी

— प्रार्थीगण

बनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जर्जे परियोजना निदेशक,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सवाई माधोपुर मकान नं.12
श्यामसरोवर पटेल नगर, आलनपुर सवाई माधोपुर (राज.)
2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी
3. नायब तहसीलदार लाखेरी

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित—

प्रार्थीया की ओर से श्री प्रहलाद वर्मा एडवोकेट
अप्रार्थी सं.1 की ओर से श्री दीपक शर्मा, श्री अमर सिंह राठौड़ एडो
अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से श्री पेरोकार सरकार।

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी द्वारा बून्दी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निर्माण हेतु अवाप्त भूमि ग्राम लबान, तहसील इन्द्रगढ की आराजी खसरा सं. 1472/415 बाबत पारित अवार्ड से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 3

जिला कलक्टर, बून्दी



जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम इस न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा उक्त अवार्ड को निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि बढ़ाई जाकर संशोधित अवार्ड राशि जारी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 37/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/47 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। अप्रार्थी सं.1 की ओर से दिनांक 27.08.2024 को जवाब पेश किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहरते हुये बहस के दौरान कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1472/415 रकबा 1.5900 हैक्टयर वाकेग्राम लबान प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है, जो गेता-माखिदा स्टेट हाईवे से 0 से 100 मीटर के दायरे में आती है तथा आबादी व रेलवे स्टेशन से 500 मीटर के अन्दर आती है। प्रार्थीगण को जारी नोटिस क्रमांक भूमि अवाप्ति/एनएच 148एन/2022/456 अन्तर्गत धारा 3(इ)(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग सं.148 एन दिल्ली से बड़ोदरा के निर्माण हेतु धारा 3 डी(3) के अंतर्गत ग्राम लबान की भूमि खसरा संख्या 1472/415 में से रकबा 0.1253 हैक्टयर को अवाप्त किया जाकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना दिनांक 03.06.2022 को भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 में जारी की गई। प्रार्थीगण को उक्त भूमि का प्रतिकर मुआवजा संदेय करने का निर्धारण किया और उक्त भूमि का कब्जा संभलाने और प्रतिकर प्राप्त करने हेतु नोटिस दिया गया, जिसमें मुआवजा राशि 8,66,862/- अंकित की गई। उक्त मुआवजा राशि कम होने से स्वीकार नहीं है, इसलिए प्रार्थीगण द्वारा भूमि की मुआवजा राशि बढ़ाये जाने के लिए अधिकारियों को प्रार्थना पत्र पेश किया गया, लेकिन कोई सुनिवाह नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र मध्यस्थता न्यायालय को प्रस्तुत किया है।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस के दौरान आगे तर्क प्रस्तुत किये कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मौका की स्थिति का अवलोकन किये बिना ही अवार्ड राशि का निर्धारण कर दिया गया है जो सही नहीं होने से निरस्तनीय है। मौके पर सम्पूर्ण 1.5900 हैक्टयर भूमि को अवाप्त किया जा चुका है तथा भूमि का कोई रकबा शेष नहीं बचा है, एकपक्षीय पारित अवार्ड राशि निर्धारित की गई है वह राशि मौके की दर के हिसाब से बहुत कम है। अवाप्त कृषि भूमि सिंचित है तथा 02 फसली उपजाऊ भूमि है जिसकी डीएलसी रेट 35,62,000/-रु.प्रति हैक्टयर है तथा बाजार मूल्य एक करोड रु. प्रति



हैक्टयर है। समीपवर्ती कारतकारों की भूमि के मुआवजों का मूल्यांकन अधिक किया गया। इसलिए प्रार्थना प्रार्थना स्वीकार किया गया जाकर उक्त अवाई निरस्त करते हुये पुनः सही व वास्तविक मौका स्थिति अनुसार मुआवजा राशि का पुनर्मूल्यांकन करवाया जाकर प्रार्थना को नियमानुसार अधिक मुआवजा राशि दिलायी जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी सं.1 द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 148 एन दिल्ली-बड़ोदरा के निर्माण हेतु लोक प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण करने बाबत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3(क) की उपधारा (1) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के विरुद्ध उस भूमि में हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा धारा 3-ए के नोटिफिकेशन जारी होने की दिनांक 18.04.2022 के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियां सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा समक्ष अधिकारी उक्त व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जाकर अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी गई। जिसके पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3-डी के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 03.06.2022 जारी की गयी, जिसका 02 स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 10.06.2022 को प्रकाशन किया गया। सक्षम अधिकारी (भूमि अवाति) द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3(जी) में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियों के बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिये परिसम्पत्ति का मूल्यांकन, सत्यापन करवाकर मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा राशि निर्धारित की गयी।



अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 द्वारा बहस के दौरान आगे कथन किया कि प्रार्थना की अवात्तशुदा भूमि खसरा सं. 1472/415 में से 0.1253 हैक्टयर भूमि अवात्त की गई है, जो कि डमरीकृत सड़क व आबादी से 101 से 500 मीटर की परिधि में स्थित है। जिसके संबंध में उप पंजीयक लाखेरी से प्राप्त डीएलसी दर के आधार पर सिंचित भूमि की दिनांक 18.04.2022 की डीएलसी दर प्रति हैक्टयर 22,88,790/- रुपये अनुसार राशि की गणना की गई है, इस प्रकार बाजार मूल्य निर्धारित कर नियमानुसार 8,66,862/- अवाई राशि का निर्धारण किया जाकर मुआवजा राशि मुताबिक अवाई आदेश सक्षम प्राधिकारी के समक्ष हितबद्ध व्यक्ति के नाम भुगतान हेतु जमा करवाई गई। प्रार्थना का प्रार्थना पत्र में अंकित अवात्त की गई उक्त भूमि स्टेट हाईवे से 100 मीटर की परिधि में स्थित होने के बावजूद कम मुआवजा राशि की गणना करने का आरोप प्रमाणित दर्सावेजी साक्ष्य के अभाव में स्वीकार नहीं है। चूंकि प्रार्थना द्वारा उक्त भूमि स्टेट हाईवे से 100 मीटर की परिधि में होने के

संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में प्रार्थना कोई भी अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः यह प्रार्थना पत्र निष्ठा तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार किया जाकर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवादि) द्वारा विधि के प्राधान्यों के अनुसार अवाप्तशुदा भूमि की अवाई द्वारा निर्धारित की गई मुआवजा राशि को बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 पेश किया जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 148 एन दिल्ली से बड़ौदरा निर्माण में ग्राम लबान, तहसील इन्द्रगढ में विस्थित प्रार्थनापत्र के खतों की अवाप्त की गई भूमि खसरा सं.1472/415 रकबा 1.5900 हैक्टेयर में से 0.1253 हैक्टेयर भूमि के लिये भूमि का मूल्यांकन 101 मीटर से 500 मीटर के दायरे की डीएलसी दर 22.88,790/- रुपये प्रति हैक्टेयर के अनुसार राशि की गणना करते हुये मुआवजा राशि तय की जाकर अवाई पारित किया गया है। जिसके संबंध में प्रार्थनापत्र द्वारा सम्पूर्ण रकबा अवाप्त कर लिये जाने एवं स्टेट हाईवे से 100 मीटर के अन्दर की निर्धारण डीएलसी दर से गणना नहीं किये जाने की आपत्ति प्रकट करते हुये हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया है।

यहां उल्लेखनीय है कि प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3-ए का नोटिफिकेशन दिनांक 18.04.2022 को जारी होने के पश्चात हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा धारा 3-सी के अन्तर्गत प्रस्तुत आपत्तियों का विधि के प्राधान्यों के अनुसार निस्तारण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3-डी के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 03.06.2022 जारी होने पर अर्जित भूमि पर स्थित भवन और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियों के बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिये परिसम्पत्ति का मूल्यांकन, सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराकर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवादि) एवं उपखण्ड अधिकारी लाखरी द्वारा मुआवजा राशि निर्धारित की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3(जी)(ए) के अनुसार अवाप्त सम्पत्ति का मुआवजा उद्घोषणा की तिथि पर डीएलसी दर के अनुसार देय होने के प्रावधान निहित है। अवाई आदेश की पालना में मुआवजा राशि भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जमा करावा दी गयी है।

जहां तक प्रार्थनापत्र की अवाप्त भूमि की स्टेट हाईवे से 100 मीटर के दायरे की डीएलसी दर से गणना नहीं किये जाने की आपत्ति का प्रश्न है, तो प्रार्थनापत्र द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे अवाप्तशुदा भूमि स्टेट हाईवे से 100 मीटर के दायरे के अन्दर होना प्रमाणित हो सके। उप पंजीयक लाखरी द्वारा जारी डीएलसी दर की सूची के संलग्न



मेगा हाईवे/स्टेट हाईवे के ख.नं. की सूची में उक्त खसरा सं. 1472/415 मेन रोड से 0 से 100 मीटर की तालिका में अंकित नहीं है। इसलिए उक्त भूमि का मूल्यांकन 101 मीटर से 500 मीटर के दायरे की डीएलसी रेट 22.88,790/- रूपये प्रति हैक्टयर के अनुसार राशि की गणना की गई है। हालांकि खसरा सं. 415 मेन रोड से 0 से 100 मीटर की तालिका में अंकित है। ऐसी स्थिति में उक्त अवाप्तशुदा भूमि खसरा सं. 1472/415 की मौका स्थिति की जांच करवाया जाना उचित प्रतीत होता है। बाद जांच यदि उक्त भूमि मेन रोड से 0 से 100 मीटर के दायरे में आती है तो प्रार्थना 100 मीटर के दायरे की डीएलसी दर से संशोधित मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र में प्रार्थना द्वारा उसकी भूमि का सम्पूर्ण रकबा अवाप्त किये जाने एवं उक्त रकबे की शेष भूमि का मुआवजा नहीं दिये जाने बाबत भी आपत्ति की गई है। अर्वाड के अनुसार उक्त खसरा सं.1472/415 रकबा 1.5900 हैक्टयर में से 0.1253 हैक्टयर भूमि ही अवाप्त किया जाना प्रमाणित है, परन्तु प्रार्थना द्वारा उक्त सम्पूर्ण भूमि का उपयोग कर लिये जाने बाबत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य के संदर्भ में न्यायहित में मौका स्थिति की जांच करवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः न्यायहित को मद्देनजर रखते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थना आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी को आदेश दिया जाता है कि अवाप्तशुदा भूमि खसरा सं. 1472/415 वाके ग्राम लबान की मौका स्थिति एवं राजस्व रिकार्ड की समुचित जांच की जाकर उक्त अवाप्तशुदा भूमि यदि स्टेट हाईवे से 0 से 100 मीटर के दायरे में आती हो तथा अर्वाड के अतिरिक्त यदि ज्यादा भूमि अवाप्त हुई हो तो आवश्यक कार्यवाही की जाकर प्रार्थना को नियमानुसार मुआवजा दिया जावे। पत्रावली फैसेले में शुमार होकर बाद पूर्ति जिला अभिलेखनागर में प्रविष्ट कराई जावे।

आदेश आज दिनांक 18.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदार)
जिला कलेक्टर बून्दी

